न्यायालय–नीरज कुमार त्यागी, अवर न्यायाधीश (प्रथम), नरकटियागंज

स्वत्व वाद सं0:–105/2010

CIS NO. TS-333/2018

विरेन्द्र गिरी एवं अन्य.....वादीगण

बनाम

मु0 प्रेमा उर्फ परमा देवी एवं अन्य.....प्रतिवादीगण

DATE	ORDER	REMARKS
11.09.2023	वादीगण की ओर से पैरवी है। आज अभिलेख प्रतिवादीगण की ओर से दिये गये आवेदन दिनांक 12.04.2023 में दिये गये आवेदन के आदेश हेतु नियत है। **आदेश (ORDER)** प्रतिवादीगण की ओर से अपने आवेदन दिनांक 12.04.2023 में कहा गया है कि प्रस्तुत वाद प्रतिवादीगण के साक्ष्य हेतु निर्धारित है। प्रतिवादी सं0–01 मु0 प्रेमा, तिलक महतो के भाई शिवपूजन महतो तथा स्व0 विश्वनाथ महतो की पत्नी मु0 कुमारी के बीच पारिवारिक इजमाली जायदाद का बंटवारा निबंधित दस्तावेज दिनांक 02.08.1999 द्वारा हुआ। प्रतिवादीगण द्वारा उक्त बंटवारा दस्तावेज की सच्ची प्रतिलिपि दिनांक 07.09.2013 को न्यायालय में दाखिल किया गया है, जो लोक अभिलेख है। इसे साबित करने के लिए किसी औपचारिक साक्षी की आवश्यकता नही है। निबंधित दस्तावेज वादग्रस्त भूमि से संबंधित है तथा मुकदमें में उचित निर्णय हेतु आवश्यक है। अतः श्रीमान् से प्रार्थना है कि प्रतिवादीगण द्वारा दाखिल निबंधित दस्तावेज दिनांक 02.08.1999 की सच्ची प्रतिलिपि को प्रदर्श अंकित करने का आदेश देने की कृपा करें। वादीगण की ओर से प्रतिवादीगण के द्वारा दाखिल आवेदन का दिनांक 25.05.2023 को प्रत्युत्तर दाखिल किया गया तथा कहा गया कि प्रतिवादीगण का आवेदन कानून एवं तथ्य दोनों दृष्टिकोण से खारिज योग्य है। बंटवारा विलेख की सच्ची प्रमाणित प्रतिलिपि प्राईवेट दस्तावेज की श्रेणी मे आती है। अतः आवेदन खारिज योग्य है। दिनांक 02.08.1999 के बंटवारा विलेख एक फर्जी एवं गैर कानूनी तैयार किया गया है। अतः अवैध एवं फर्जी विलेख को न्यायालय द्वारा साक्ष्य में ग्रहण करना न्याय संगत नही है। अतः आवेदन खारिज किया जाय।	

<u>न्यायालय–नीरज कुमार त्यागी, अवर न्यायाधीश (प्रथम), नरकटियागंज</u>

<u>स्वत्व वाद सं0:–105/2010</u>

CIS NO. TS-333/2018

विरेन्द्र गिरी एवं अन्य.....वादीगण

बनाम

मु0 प्रेमा उर्फ परमा देवी एवं अन्य.....प्रतिवादीगण

लगातार 11.09.2023	उभय पक्षों के विद्वान अधिवक्तागण को सुना गया। अभिलेख का अवलोकन किया। अभिलेख अवलोकन से विदित होता है कि उक्त अभिलेख प्रतिवादी साक्ष्य हेतु नियत है। विधि का सुस्थापित नियम है कि वाद से संबंधित सभी मौखिक एवं दस्तावेजी साक्ष्य अभिलेख पर आना चाहिए। जिससे वाद का अंतिम रूप से न्याय निर्णयन किया जा सके तथा वादों की बहुलता को रोका जा सके। प्रतिवादीगण द्वारा दाखिल दस्तावेज प्रस्तुत वाद से संबंधित होना प्रतीत होता है। निबंधित बंटवारा विलेख की सच्ची प्रतिलिपि अभिलेख पर उपलब्ध है। अतः न्यायहित में प्रतिवादीगण द्वारा दाखिल आवेदन को स्वीकार किया जाता है तथा पीठ लिपिक को निर्देश दिया जाता है कि क्रमानुसार वादीगण की आपत्ति के साथ प्रस्तुत दस्तावेज प्रदर्श अंकित करें। आगामी दिनांक 12.10.2023 वास्ते प्रतिवादीगण की साक्ष्य हेतु नियत। लेखापित अवर न्यायाधीश, प्रथम नरकटियागंज	